UPLL010029822022

.....

UPLL010029822022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

उपस्थित– गुलाब सिंह–II, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. CODE–UP–5942

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1387 वर्ष 2022,

1– **रविशंकर उर्फ गोटीराम** पुत्र कुंवर सिंह, निवासी ग्राम मड़ावरा, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या 120/2022
अंतर्गत धारा 147, 307, 353, 332, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।
आवेदक/अभियुक्त की ओर से– श्री कैलाश नारायण एडवोकेट
अभियोजन की ओर से– श्री महेन्द्र सविता, ADGC (Crl.)

एवं

UPLL010029962022

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1396 वर्ष 2022,

2– **राहुल राय** पत्रु रामप्रसाद उर्फ हल्के निवासी बस स्टैण्ड के सामने, कस्बा मड़ावरा, थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या 120/2022
अंतर्गत धारा 147, 307, 353, 332, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर।
आवेदक/अभियुक्त की ओर से– श्री के०के० बंसल एडवोकेट
अभियोजन की ओर से– श्री महेन्द्र सविता, ADGC (Crl.)

<u>19–10–2022 :</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण रविशंकर उर्फ गोटीराम एवं राहुल राय की ओर से मु०अ०सं० 120/2022, अंतर्गत धारा 147, 307, 353, 332, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में प्रस्तुत पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये है। दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित हैं। इसलिए सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

UPLL010029822022

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप निरीक्षक राहुल कुमार द्वारा दिनॉक 04–10–2022 को समय 23–51 बजे थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित तहरीर के आधार पर इस आशय से पंजीकृत करायी गयी कि दिनाँक 04–10–2022 को वह आरक्षी रजनीश कुमार के साथ कार्य सरकार में जमीन की नाप कराने ग्राम लुहर्रा थाना मड़ावरा में राजस्व निरीक्षक वेदप्रकाश के साथ शान्ति व्यवस्था हेतु गया था कि, पैमाईश कराकर वापस थाना आ रहा था, कि छपरौनी सौजना रोड पर पहुंचे तो एक मोटर साइकिल से दो व्यक्ति अवैध शराब लेकर कहीं बेचने जा रहे थे। वादी ने उनको रोका व नाम, पता पूछा तो एक ने अपना नाम राहुल राय व दूसरे ने अभय यादव उर्फ मस्ती बताया। उन लोगों ने फोन लगाकर भूपेन्द्र यादव व रविशंकर उर्फ गोटीराम को बुला लिया। उनके साथ अंकित यादव अपनी चार पहिया गाड़ी स्कार्पियो से आया व जान से मारने की नियत से उसकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मोटर साइकिल नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गयी। उसने व उसके साथी आरक्षी ने कूंदकर अपनी जान बचायी। इसके बाद वे लोग वादी व उसके साथी से गाली गलौच व धक्का मुक्की करने लगे तथा जान से मारने व बर्दी उतरवाने की धमकी दी। यह घटना करीब 16–00 बजे की है।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 120/2022, अंतर्गत धारा 147, 307, 353, 332, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत राहुल राय, अभय यादव उर्फ मस्ती, भूपेन्द्र यादव, रविशंकर उर्फ गोटीराम व अंकित यादव के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहा गया है कि अभियुक्तगण बेकसूर है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने वादी पक्ष के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। पुलिस द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाते हुये अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से सोच विचार करके दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं बताया गया है। जबकि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है।अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के कहीं भागने अथवा फरार होने की सम्भावना नहीं है। अभियुक्तगण दिनॉक 06–10–2022 से जिला कारागार, ललितपुर में निरूद्ध है। इसी आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कार्य सरकार में बाधा पहुंचाते हुये वादीपक्ष को जान से मारने की नियत से वाहन से कुचलने का प्रयास किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, जिस कारण आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। इसी आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा केस डायरी व सम्बन्धित प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

7. पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा पुलिस दल को जान से मारने की नियत से स्कार्पियो से टक्कर मारना बताया गया है। घटना के सम्बन्ध में जनता का कोई व्यक्ति स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी के रूप में नहीं बताया गया है , जबकि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान का बताया गया है। केस डायरी के साथ आघात आख्यायें

उपलब्ध हैं, जिसमें चुटहैलों के शरीर पर पायीं गयीं सभी चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयीं हैं। किसी भी चुटहैल को कोई गम्भीर चोट आना नहीं बतायी गयी है। अभियुक्त दिनॉक 06–10–2022 से जिला कारागार, ललितपुर में निरूद्ध है। अभियुक्तगण के कब्जे से किसी प्रकार की शराब की बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

8. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुये एवं मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्तगण रविशंकर उर्फ गोटीराम व राहुल राय की ओर से मु०अ०सं० 120/2022, अंतर्गत धारा 147, 307, 353, 332, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना मड़ावरा, जिला ललितपुर में प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है–

(i)– अभियुक्तगण की ओर से मुबलिग 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की **दो–दो विश्वसनीय एवं स्थानीय प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप प्रस्तुत की जावे।

(ii)– अभियुक्तगण की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल की जाये कि अभियुक्तगण विवेचना में अपेक्षित सहयोग करेंगें एवं विवेचक द्वारा तलब करने पर विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा, मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय व पुलिस के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे। विवेचना में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगें।

(iii)– अभियुक्तगण के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगें और न ही दौरान विचारण साक्षियों को किसी भी तरह से प्रभावित करेंगें।

(iv)– अभियुक्तगण आरोप की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से एवं आगामी प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा मार्फत अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा साक्षी के उपस्थित होने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगें।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं० 1396/2022 राहुल राय बनाम उ० प्र० राज्य की पत्रावली पर रखी जाये।

(गुलाब सिंह–II),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
ललितपुर।
J.O.CODE–UP5942

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

Digitally signed by GULAB SINGH
Date: 2022.10.19 16:17:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court